

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/05-30

जयपुर, दिनांक:- 18.01.2024

आदेश

अभियोजन निदेशालय के आदेश स. 27-3(6)/पदो/अभि/2023/1579-1629 दिनांक 29.12.2023 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कर्मचारीगण का पदस्थापन लोकहित में निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०दि
1.	श्री नारायण प्रसाद सोनी	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, चूरु	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, चूरु	श्री उदयचन्द के स्थान पर
2.	श्री केवलाराम	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, बाडमेर	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, बाडमेर	रिक्त पद पर
3.	श्री राजेश गहलोत	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, जोधपुर	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, जोधपुर	रिक्त पद पर

इसके अलावा श्री उदयचन्द, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, चूरु का पदस्थापन उक्त कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध किया जाता है।

संबंधित अधिकारी उपरोक्त कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा) 18/01/24
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित कर्मचारी -----।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर